न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– कमल राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0:– 37/2017 **(223 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. ग्यारसा राम पुत्र रामस्वरूप जाति सैनी निवासी मौहल्ला खास पुलिस थाना शहर कोतवाली तहसील व जिला अलवर राज0 ।

..... अपीलांट

बनाम

1. लक्ष्मीदेवी पत्नि स्व0 श्री प्यारेलाल,
2. रामबाबू पुत्र स्व0 श्री प्यारेलाल,
3. श्यामबाबू पुत्र स्व0 श्री प्यारेलाल,
4. विष्णु पुत्र स्व0 श्री प्यारेलाल,
5. कविता पुत्री स्व0 श्री प्यारेलाल,
6. संतोष पुत्री स्व0 श्री प्यारेलाल,
7. बबीता पुत्री स्व0 श्री प्यारेलाल जातियान सैनी निवासीयान देहली दरवाजा बाहर पुराना नेहरू स्कूल के पीछे, पुलिस थाना शहर कोतवाली शहर, अलवर राज0 ।

..... रेस्पोडेन्टान

उपस्थित :–
1. श्री महादेव प्रसाद जांगिड़ अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री शैलेन्द्र भार्गव अभिभाषक रेस्पो0 ।

::: निर्णय :::

दिनांक :–08.02.2018

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी अलवर के निर्णय दिनांक 30.03.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/रेस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 92 ए. व 188 आर.टी.एक्ट के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट बाबत आराजी ख0 नं0 हाल 2011 रकबा 56 ऐयर वाके ग्राम अलवर नं0 1 तहसील व जिला अलवर इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादीगण विवादित आराजी के खातेदार काश्तकार हैं तथा प्रतिवादी व मृतक मूलचन्द का नाम जो राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया गया है वह इन्द्राज दुरूस्त किये जाने योग्य है ।

इसके साथ ही सायल/प्रतिवादी/प्रार्थी ने तहत न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 340 जा.फौ. प्रस्तुत कर वादीगण ने फर्जी व नुमायशी, दिखावटी व भ्रमित करने वाला अन्तरिम आदेश की आदेशिका दिनांक 29.04.2013 जो वाद सं. 1/2005 की आर्डरशीट में अंकित हैं, जिस आधार पर तहसीलदार अलवर व अन्य कर्मचारियों से साजबाज

होकर राजस्व रेकार्ड में अमल कराया है और नोट जमाबन्दी में अंकन है जिसकी प्रति पेश की जा रही है । साथ ही उक्त आराजी का बेचान का इकरारनामा भी वादीगण की सहमति से किया गया है जिस षड़यन्त्र में अन्य लोग भी शामिल है । उक्त समस्त फर्जकारी में वादीगण लक्ष्मीदेवी, विष्णु, रामबाबू, श्यामबाबू, कविता, संतो, बबली भी शामिल है एवं अन्य तत्कालीन रीडर, तहसीलदार व अन्य राजस्व कर्मचारी शामिल हैं । इन सभी के विरूद्ध न्यायालय श्रीमान् के माध्यम से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी जाकर दाण्डिक कार्यवाही कराये जाने का निवेदन किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया जिन्होंने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षों के अभिभाषकगण की बहस सुनकर दि0 30.03.2017 को सायल/प्रतिवादी/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 340 दण्ड प्रक्रिया संहिता सारहीन होने के कारण खारिज कर दिया जिस निर्णय दि0 30.03.2017 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

अपील पेश होने पर धारा 223 आर.टी.एक्ट में दर्ज की गयी है परन्तु प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया है और उसके विरूद्ध जो अपील पेश की गई है, उस अपील में सी.आर.पी.सी. की धारा 340 के प्रावधानों के तहत इस्तदुआ चाही गयी है । अतः यह अपील धारा 223 आर.टी.एक्ट में न होकर अपील विविध की श्रेणी में पायी जाती है तथा इसका निस्तारण में सी.आर.पी.सी. के अपीलीय प्रावधानों के अनुसार विविध प्रार्थना पत्र में मानकर किया जावें । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया । तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

अपीलांट अभिभाषक ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट की प्रार्थना को दावे की आर्डशीट में लिखा गया है जबकि टी.आई. की पत्रावली में आज तक कोई स्थगन नहीं दिया गया है । दिनांक 29.4.2013 की आदेशिका के अनुसार यह बहस के लिए प्रार्थना है, कोई आदेश नहीं है । यह स्थगन नहीं है । यह दावे में अंकित किया गया है । दावे में यह पार्ट साईलेन्ट है । दिनांक 23.05.1990 को मेरे नाम इन्तकाल हो गया । 17–18 साल बाद अति0 जिला कलक्टर के यहां अपील की, पता नहीं इतने दिनों के बाद ये कहां से अपील आ गयी है । अति0 जिला कलक्टर अलवर ने अपील खारिज की है । अति0 सम्भागीय आयुक्त के यहां इन्होंने अपील की जो इनके पक्ष में हुई हैं । अति0 सम्भागीय आयुक्त के आदेश की अपील माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में की गई जिसमें अति0 सम्भागीय आयुक्त का आदेश खारिज कर दिया गया । इसके बाद ये माननीय उच्च न्यायालय में गये वहां भी इनकी अपील खारिज कर दी गई । जैसे ही माननीय राजस्व मण्डल अजमेर से निर्णय हुआ । मैंने कर्मचारियों को प्रार्थना पत्र पेश किया कि अति0 सम्भागीय आयुक्त के आदेश की पालना गलत की है, उसे हटाया जावें । रेस्पो0 ने इस आदेशिका दिनांक 29.4.2013 को स्टे माना और अधीनस्थ कार्मिकों को यह बताया ।

बहस में आगे कहा कि मेरा ये कहना है कि दावे की पत्रावली दिनांक 29.4.2013 को जो आदेश लिखा है वह टी.आई. की परिभाषा में नहीं आता है । इसमें केवल वकील की बहस का ही हवाला है । इसमें कोई आदेश नहीं है फिर भी दिनांक 30.3.2017 को इस टी. आई. का आदेश माना है ।

अतः इस आदेश को निरस्त किया जावें और इनके विरूद्ध कार्यवाही की जाकर अपील अपीलांट स्वीकार करने का निवेदन किया ।

जवाब बहस में रेस्पो0 के अभिभाषक का कथन है कि अपीलांट ने मैरिट की बहस नहीं की । मैं उसका जवाब दे रहा हूं । नामान्तकरण एक फिसकल प्रोसिडिंग है और उसमें ये निर्देश है कि ये तथ्य दावें में तय होगें । माननीय उच्च न्यायालय ने नियमित वाद में तय कराने का निर्देश हैं जबकि अपीलांट इस आदेश को फर्जी बता रहे हैं कि धारा 212 के पत्रावली की आर्डरशीट को दावे में लिखने से फर्जी माना है और प्रार्थना पत्र 340 जा0फौ0 का इस बिनाय पर दिया है कि इस आर्डरशीट को फर्जी बता रहे हैं । अपीलांट केवल आर्डशीट को फर्जी बता रहे हैं, इस बात की अपील की है ।

बहस जवाब में आगे कहा कि मेरा ये कहना है कि क्या प्रार्थना पत्र 212 की आर्डरशीट को दावे में लिखने से वह गलत हो गयी । ये आर्डरशीट रीडर ने लिखी है, पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर है । अतः गलत कैसे हो सकती है । न्यायालय का अन्तरिम आर्डर है । दि0 29.4.2013 की आदेशिका का अवलोकन करें । इस आर्डरशीट के आधार पर मैंने क्या किया है । इसकी अपील 340 सी.आर.पी.सी. को पढ़े, आरोप निराधार हैं । हमारा और रीडर आदि का क्या लेना देना है । न्यायालय क्यों रिपोर्ट दर्ज करायें । धारा 340 में ये बिन्दु है कि पहले न्यायालय स्वयं जांच करें उसके बाद आदेश पारित करें । अपील में स्थगन का कोई मामला नहीं है । बिन्दू केवल ये है कि क्या षड़यन्त्र किया गया है । यह मामला 340 में कवर ही नहीं होता है । इसमें कन्डेक्ट के लिए मैंने चार निर्णय पेश किये हैं । प्रकरण को डिले करने के लिए यह 340 का प्रार्थना पत्र पेश किया है । माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय दि0 9.9.2015 का है, एक वर्ष में तय करें । यह पत्रवली उपखण्ड अधिकारी के यहां बहस में थी तो इस आधार पर अपील वादी और पत्रावली को यहां तलब करवा ली । धारा 340 की अपील दि0 14.2.2017 की है जबकि आदेश दि0 29.4.2013 का है । इनका मकसद केवल डिले करना है ।

बहस जारी रखते हुए कथन किया कि बसन्ती मेरी दादी है । फर्जी इन्तकाल इन्होंने दर्ज करवा लिया । उसके विरूद्ध 420 का मामला माननीय उच्च न्यायालय तक हुआ है जिसमें 8 निर्णय है । सभी ने इनको दोषी माना है । न्यायालय ने जो निर्णय दिया है वह उनका निर्णय है । यदि इस निर्णय से व्यथित थे तो अपील करें । तहत न्यायालय ने जो निर्णय दिया है वह सही है । टी.आई. की आदेशिका को दावे में लिख दिया तो क्या षड़यन्त्र हो गया । इसे ही दि0 30.3.2017 को दुरूस्त किया है ।

अतः तहत न्यायालय का निर्णय सही है । इनकी अपील खारिज की जावें ।

जवाब उल जवाब में अभिभाषक अपीलांट ने कथन किया कि अतः शब्द लिखा जाता है । इसमें आदेश होता है । यह लगातार बहस है । मैं टी.आई. की प्रति लेता रहा हूं । उसमें इस आदेश का हवाला नहीं दिया है । मेरे पास टी.आई. की अपील की नकल नहीं दी है तो ये फर्जकारी है तथा फर्जी स्टे है । माननीय राजस्व मण्डल ने हमारे पक्ष में आदेश दिये हैं वो बहाल है । हमें तो तहसीलदार से जानकारी मिली कि स्टे हो गये तब दावे के निर्णय की जानकारी मिली । मेरे विरूद्ध 420 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में एफ.आर. लगी है । अभी उसमें साक्ष्य लिया है तो क्या फाईनल हो गया । अतः मेरा प्रार्थना पत्र सही है, मंजूर किया जावें तथा इनके विरूद्ध कार्यवाही की जावें ।

हमने अपील के तथ्यों का अवलोकन किया तथा तहत न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करते हुए वाद सं0 1/05 में आदेशिका दि0 29.4.2013 का भली–भांति अवलोकन करते हुए अधीनस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.03.2017 का भी अवलोकन किया गया । अपीलांट अभिभाषक व रेस्पो0 अभिभाषकगण की बहस पर भी गौर किया ।

अपीलांट का मुख्य तर्क ये है कि वाद सं0 1/05 के साथ संलग्न प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट 2/05 है । जब वाद के साथ स्थगन हेतु अलग से प्रार्थना पत्र है तो किसी भी प्रकार के स्थगन आदेश उस प्रार्थना पत्र पर ही पारित होने चाहिए न कि मूल वाद की आर्डरशीट पर और द्वितीय बिन्दू ये है कि जो आदेशिका दिनांक 29.4.2013 को लिखी गयी है वह स्थगन की परिभाषा में नहीं आती है । अतः उसके आधार पर जमाबन्दी में राजस्व कर्मचारियों ने नोट अंकित किया है वह गलत है । दि0 29.4.2013 की आदेशिका वादी वकील की स्थगन हेतु की गयी बहस की प्रोसिडिंग है तथा उसमें आगे प्रतिवादी वकील की बहस का आदेश लिखा हुआ है । अतः रीडर व अन्य कर्मचारियों ने साजबाज करके इसे स्थगन की परिभाषा मानकर गलत नोट जमाबन्दी में अंकित किया गया है । अतः यह एक षड़यन्त्र है जिसमें अदालत को इनके विरूद्ध मुकदमा दर्ज कराना चाहिए ।

मैरिट पर अपीलांट अभिभाषक ने यह भी अवगत कराया है कि विवादित आराजी के संबंध में जो नामान्तकरण सं0 1170 दर्ज किया गया है वह गलत है तथा अति0 सम्भागीय आयुक्त जयपुर के आदेश से राजस्व रेकार्ड में जो पालना की गई है उसे माननीय राजस्व मण्डल के आदेश से हटाने की इस्तदुआ की थी । माननीय राजस्व मण्डल ने अति0 सम्भागीय आयुक्त के निर्णय को निरस्त कर दिया है । माननीय उच्च न्यायालय ने भी रेस्पो0 की रिट स्वीकार नहीं की और माननीय राजस्व मण्डल का निर्णय बहाल रखा है । अतः इस आदेशिका दिनांक 29.4.2013 जिसे फर्जकारी से स्थगन बताया है, वह गलत है । रेस्पो0 29.4.2013 को गलत आदेश मान रहे हैं जबकि यह अपीलांट की बहस है, कोई आदेश नहीं है ।

अपील में तीसरा बिन्दू कि दिनांक 30.3.2017 का निर्णय गलत है जिसमें फर्जकारी का मुकदमा दर्ज कराने का आदेश नहीं हुआ, गलत है । अतः इस निर्णय को भी निरस्त किया जावें । अपीलांट अभिभाषक ने 212 आर0टी0एक्ट की पत्रावली की नकलें भी पेश की है जिसमें दिनांक 29.04.2013 की आदेशिका का हवाला नहीं है और कहना है कि बाद में लिखी है ।

जवाब बहस में रेस्पो0 के अभिभाषक ने पूर्व के कथनों के आधार पर यह कहा कि प्रकरण 340 सी.आर.पी.सी. में नहीं बनना पाया जाता है । न्यायालय ने सहवन से 212 के प्रोसिडिंग को मूल वाद की आदेशिका आर्डरशीट में लिख दिया । इसे दि0 30.3.2017 के निर्णय से सही कर दिया ।

प्रकरण का मुख्य विषय यह निर्णित किया जाना है कि क्या यह प्रकरण 340 सी. आर.पी.सी. का पाया जाता है क्या 212 की पत्रावली में होने वाल आदेश का प्रोसिडिंग को यदि उसी मूल वाद की आर्डरशीट में लिख दिया जाता है तो क्या वह गलत है ?

इस संबंध में इस न्यायालय का विनम्र मत है कि राजस्व केस में मूल वाद के साथ पेश प्रार्थना पत्र बाबत स्थगन जो कि 212 आर.टी.एक्ट में है । सामान्यतया अलग–अलग प्रोसिडिंग लिखी ज़ाती है परन्तु यदि सहवन से 212 आर.टी.एक्ट की पत्रावली पर लिखा

जाने वाली कोई प्रोसीडिंग यदि मूल वाद पर लिख दी जाती है और उसे पीठासीन अधिकारी प्रमाणित करते हैं या हस्ताक्षर करते हैं तो उसमें फर्जकारी का प्रश्न पैदा नहीं होता है । हम अपीलांट के इन तर्को से सहमत नहीं हैं कि इसमें कोई फर्जकारी प्रतीत होती है । पत्रावली में या प्रार्थना पत्र में पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर के बाद उसमें फर्जकारी बताया जाना सही नहीं पाया जाता है । सन् 2014 की आदेशिका को 2017 में चैलेन्ज किया गया है । अतः अधीनस्थ न्यायालय ने इस संबंध में जो निर्णय दिनांक 30.03.2017 को पारित किया है उसमें 340 सी.आर.पी.सी. के प्रकरण में हस्तक्षेप की कोई गुंजाईश नहीं है । अतः इस प्रार्थना तक यह अपील खारिज की जाती है ।

जहां तक दिनांक 29.04.2013 को लिखी गयी आदेशिका आदेश की श्रेणी में आती है या नहीं । इस संबंध में अपीलांट स्वतंत्र है कि वे इस आदेशिका के विरूद्ध अपील कर सकते हैं क्योंकि अधीनस्थ न्याययालय ने अपने आदेश दिनांक 30.03.2017 से आदेश दिनांक 29.04.2013 की पुष्टि की है । इसलिए अपील अपीलांट प्रार्थना पत्र 340 सी.आर.पी.सी. के योग्य नहीं पाये जाने से खारिज की जाती है ।

अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है । विद्धान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर के निर्णय दिनांक 30.03.2017 यथावत रखा जाता है । खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें ।

निर्णय आज दिनांक 08.02.2018 को मेरे द्धारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

8/2/18

(कमल राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर